रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा

APP
Crll

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

कन्हैयालाल वगै० बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक: 22-1-25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वादीगण वाद दावा इन्द्राज दुरुस्ती एवं उद्घोषणा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलमुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 22/1/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्याः 04 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः 23.01.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः 22.01.2025

उनवान

1. अर्जुनलाल पुत्र नारायण
2. कालूराम पुत्र बुद्धाराम
3. सीताराम पुत्र नेतराम

जातियान बैरवा निवासी बिवाई तह. बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकाबर जरिये तहसीलदार बांदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर तह. बांदीकुई

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं उद्घोषणा

::निर्णय::

वादीगण द्वारा दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं उदघोषणा जर्ये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा के इस आशय से पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 225 पुराना 222 के आराजी खसरा नं. 1013 / 1201, 1097 लगायत लगायत 1104, 1107, 1147, 1148, 1152 लगायत 1154 कुल किता 15 कुल रकबा 2.36 वाके रामा बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 01 अर्जुनलाल के पिता नारायण की मृत्यु के बाद वारिसान के आधार पर जब नामान्तकरण खोला तब सहवन से वादी संख्या 01 के पिता का नाम खातेदारी में करनिया अंकित कर दिया। जबकि वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजो में नारायण ही दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि मुतदाविया में वादी संख्या 01 के अर्जुनलाल के पिता का नाम करनिया हजब किया जाकर वादी के संख्या 01 अर्जुनलाल के पिता का नाम नारायण दस्तावेजो के आधार पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी संख्या 02 कालूराम के पिता बुद्धाराम की मृत्यु के बाद वारिसान के आधार पर जब नामान्तकरण खोला तब सहवन से वादी संख्या 02 के पिता का नाम खातेदारी में करनिया अंकित कर दिया। जबकि वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड,राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजो में बुद्धाराम ही दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि मुतदाविया में वादी संख्या 02 के कालूराम के पिता का नाम करनिया हजब किया जाकर वादी के संख्या 02 कालूराम के पिता का नाम बुद्धाराम दस्तावेजो के आधार पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी संख्या 03 सीताराम के पिता नेतराम की मृत्यु के बाद वारिसान के आधार पर जब नामान्तकरण खोला तब सहवन से वादी संख्या 03 के पिता का नाम खातेदारी में करनिया अंकित कर दिया जबकि वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजो में नेतराम ही दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि मुतदाविया में वादी संख्या 03 सीताराम के पिता का नाम करनिया

हजब किया जाकर वादी के संख्या 03 सीताराम के पिता का नाम नेत राम दस्तावेजो क आधार पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने दिनांक 15.01.2024 को प्रतिवादी से जब राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने पिता का नाम दुरूस्त कराने की कही जो प्रतिवादी साफ इंकार और प्रतिवादी ने कहा कि पहले न्यायालय से आदेश लेकर आओं तभी तुम्हारे पिता का नाम खातेदारी में सही दर्ज हो सकेगा। विनाय यौम दावा व विनाय मुखास्मत दिनांक 15. 01.2024 को प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि मुतदाविया में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्ती से इंकारी से अंदर हदूद न्यायालय हाजा उत्पन्न होने से तथा सकुनत भूमि मुतदाविया अंदर हदूद न्यायालय हाजा के वाके होने से दावा के श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा का हासिल है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावे कि इस्तकरार हक वादीगण वर खिलाफ प्रतिवादी को इस अमर का आदेश जारी किया जावे कि भूमि खाता संख्या नया 225 पुराना 222 के आराजी खसरा नं. 1013/1201, 1097 लगायत लगायत 1104, 1107, 1147, 1148, 1152 लगायत 1154 कुल किता 15 कुल रकबा 2.36 वाके रामा बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि मुतदाविया में वादीगण संख्या 01 अर्जुनलाल के पिता का नाम करनिया हजफ किया जाकर वादी संख्या 01 अर्जुनलाल के पिता का नाम दस्तावेजो के आधार से नारयण खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है एवं वादी संख्या 02 कालूराम के पिता का नाम करनिया हजफ किया जाकर वादी संख्या 02 कालूराम के पिता का नाम दस्तावेजो के आधार से बुद्धाराम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा वादी संख्या 03 सीताराम के पिता का नाम करनिया हजफ किया जाकर वादी संख्या 03 सीताराम के पिता का नाम दस्तावेजो के आधार से नेतराम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः स्पे–2 दिनांकः 23.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण में वादी संख्या 01 अपने पिता का नाम करनिया के स्थान पर नारायण तथा वादी संख्या 2 अपने पिता का नाम करनिया के स्थान पर बुद्धाराम तथा वादी संख्या 3 करनिया के स्थान पर नेतराम करवाना चाहता है इस संदर्भ में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया किये कि वादीगण के पिता का नाम तीन नामों से एक नाम कैसे आया। वादीगण स्वयं सिद्ध करे कि उक्त भूमि में वादीगण के अलग–अलग पिता का नाम एक कैसे हुआ। वादीगणों द्वारा दस्तावेंज प्रस्तुत नहीं करने से दावा खारिज फरमाने की कृपा करें। वादीगण वकील बहस सुनी गई। वादीगण वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादी वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम बिवाई के खाता संख्या नया 225 व पुराना 222 में वादीगण के पिता का नाम करनिया दर्ज है जबकि वाद पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों में वादीगण संख्या 01 अर्जुनलाल के पिता का नाम नारायण ,वादीगण संख्या 02 कालूराम के पिता का नाम बुद्धाराम, वादीगण संख्या 03 सीताराम के पिता का नाम नेतराम दर्ज है। वादीगण द्वारा वादपत्र में इस संदर्भ में कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वादीगण के पिता का नाम रिकॉर्ड में कब गलत हुआ व तीनो के पिता का नाम एक ही दर्ज

कैसे हुआ इस बाबत कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा स्वयं सिद्ध नहीं कर पाये जाने से वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वादीगण वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा इन्द्राज दुरूस्ती उद्घोषणा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

22/01/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई